<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 79/2021

(सी.आई.एस.नं.-79/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- नरवर सिंह पुत्र हरिसिंह, उम्र 62 वर्ष,

2- दिलीप सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, उम्र 19 वर्ष,

3- गोविन्द सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 29 वर्ष,

4- तुफान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 35 वर्ष,

निवासीगण खारपा खुर्द, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

— अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302 अथवा
323/34, 302/34 भा.दं.सं. एवं
धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थितः-

1- शिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री चेतन पाटीदार, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः- 08.12.2025**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी गोपाल सिंह पुत्र रतन सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी खारपा खुर्द द्वारा सुधा अस्पताल कोटा में दी गयी एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1) पुलिस थाना पिड़ावा पर इस आशय की प्राप्त हुई कि दिनांक 13.06.2019 को शाम के करीब 9.30 बजे को उसका छोटा भाई पूरसिंह पुत्र रतनसिंह, उम्र 35 वर्ष जो गांव के सज्जनसिंह की आटा चक्की से आटा पिसाकर मोटर साईकिल से वापस घर आ रहा था कि नरवर सिंह पुत्र हरिसिंह के मकान के सामने तोफान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, गोविन्द सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सरवन सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, विनोद सिंह पुत्र उमराव सिंह व नरवर सिंह पुत्र हरिसिंह ने एक राय होकर लट्ठ, गण्डासी व तलवार लेकर आड़े फिर और उसके भाई पूरसिंह के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। तुफान सिंह ने तलवार की, गोविन्द सिंह ने गण्डासी की, विनोद सिंह ने लट्ठ की व सरवन सिंह ने पत्थर की मारी। उसके भाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह व गीताबाई पत्नी रतनसिंह, लालसिंह पुत्र पूरसिंह, पूजाबाई पुत्री गोपाल सिंह ने बीच-बचाव किया।

उसके भाई के गम्भीर चोटें सिर, हाथ, पैर, मुंह से खून आने से वे तुरन्त हॉस्पीटल पिड़ावा लेकर आये, जहां से झालावाड़ रेफर किया, झालावाड़ से सुधा हॉस्पीटल में कोटा में आज सुबह लेकर आये थे, यहां पर ईलाज के दौरान उसके भाई पूरसिंह की मृत्यु हो गई, इत्यादि।

2- उक्त तथ्यों की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना पिडावा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-135/2019, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 07.09.2019 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302/34 भा.दं.सं. व धारा 4-25 आयुध अधिनियम के अपराध में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अपराध धारा 302 भा.दं.सं. अनन्य रूप से सैशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के न्यायालय में अन्तरित किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 04.10.2019 को अभियुक्तगण नरवर सिंह, दिलीप सिंह को धारा 341, 323, 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तूफान सिंह को धारा 341, 323, 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन-समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के आदेश से पत्रावली विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।

5- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में गवाह पी.ड.-1 गोपाल सिंह, पी.ड.-2 लालसिंह उर्फ दीपक सिंह, पी.ड.-3 पूजा, पी.ड.-4 डॉ. देशराज चावला, पी.ड.-5 धीरज सिंह, पी.ड.-6 ईश्वर सिंह, पी.ड.-7 सोदान सिंह, पी.ड.-8 कालू सिंह, पी.ड.-9 नारायण सिंह, पी.ड.-10 सज्जन सिंह, पी.ड.-11 शंकर सिंह, पी.ड.-12 पप्पू सिंह, पी.ड.-13 कमल सिंह, पी.ड.-14 गीताबाई, पी.ड.-15 भैरूसिंह, पी.ड.-16 कालीबाई, पी.ड.-17 मांगूसिंह, पी.ड.-18 दिलीप कुमार, पी.ड.-19 विनोद कुमार नागर, पी.ड.-20 रामकिशोर, पी.ड.-21 डॉ. बृजेश टटवाल, पी.ड.-22 वृद्धिचन्द गुर्जर, पी.ड.-23 रामकिशन, पी.ड.-24 डॉ. सुरेन्द्र कुमार मीणा एवं पी.ड.-25 कन्हैयालाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में

तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी.-2, मृतक पूरसिंह की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी.-3, फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक प्रदर्श पी.-4, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-5, फर्द जब्ती खून आलूदा व सादा मिट्टी प्रदर्श पी.-6, फर्द जब्ती खून आलूदा कपड़े एक पेन्ट-शर्ट प्रदर्श पी.-7, फर्द डेमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-8, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक प्रदर्श पी.-9, पुलिस बयान धीरज सिंह प्रदर्श पी.-10, फर्द जब्ती बांस की लकड़ी बकब्जे मुल. नरवर सिंह प्रदर्श पी.-11, फर्द जब्ती फरसी बकब्जे मुल. गोविन्द सिंह प्रदर्श पी.-12, फर्द जब्ती पत्थर बकब्जे मुल. दिलीप सिंह उर्फ सरवन सिंह प्रदर्श पी.-13, फर्द जब्ती तलवार बकब्जे मुल. तूफान सिंह प्रदर्श पी.-14, बरामदगी स्थल के नक्शा मौका क्रमशः प्रदर्श पी.-15 लगायत पी.-18, पुलिस बयान ईश्वर सिंह प्रदर्श पी.-19, पुलिस बयान सज्जन सिंह प्रदर्श पी.-20, पुलिस बयान पप्पू सिंह प्रदर्श पी.-21, पुलिस बयान मांगूसिंह प्रदर्श पी.-22, मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.-23, जिसकी प्रति प्रदर्श पी.-23 ए, एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी.-24, एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-25, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-26, फर्द फोटोग्राफ्स लाश प्रदर्श पी.-27 लगायत पी.-30, फर्द फोटोग्राफी मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-31 लगायत पी.-34, फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान नरवर सिंह, दिलीप सिंह उर्फ सरवन सिंह, गोविन्द सिंह व तुफान सिंह क्रमशः प्रदर्श पी.-35 लगायत पी.-38 एवं धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिमान क्रमशः प्रदर्श पी.-39 लगायत पी.-42 को प्रदर्शित करवाया।

5- अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना व्यक्त किए जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई। हालांकि साक्ष्य अभियोजन के दौरान पुलिस बयान गोपाल सिंह प्रदर्श डी.-1, पुलिस बयान लालसिंह उर्फ दीपक सिंह प्रदर्श डी.-2 व पुलिस बयान गीताबाई प्रदर्श डी.-3 को अवश्य प्रदर्शांकित करवाये गये।

6- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

7- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। अतः अभियुक्तगण

को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयेः-

1- 2016 (4) RLW 2725 (SC) Sheikh Sintha Madhar @ Jaffer @ Sintha Etc VS State rep. By Inspector of Police.

2- 2019 Cr.L.R. (SC) 94] Jag Ram VS State Rep. By SHO, P.S. Seemapuri, East Delhi

3- 2012 Cr.L.R. (SC) 334 PROMOD DEY VS STATE OF WEST BENGAL

4- 2009 Cr.L.R. (SC) 821 RAJ NARAIN SINGH VS STATE OF UTTER PTADESH & ORS.

5- 1983 Cr.L.R. (SC) Page 212 Solanki Chimanbhai Ukabhai VS State of Gujarat

6- 2003 Cr.L.R. (SC) 19 Nandu Rastogi @ Nandji Rastogi & Anr. VS State of Bihar

7- 2011 (1) RLW 2600 (Raj.) Akram & Ors. VS State

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन कहानी मनगढ़ंत है। जहां तहरीरी रिपोर्ट में लालसिंह का कोई जिक्र नहीं है तथा मृतक पूरसिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर जाना बताया गया है। वहीं दौराने साक्ष्य परिवादी पी.ड.-1 गोपाल व अन्य गवाहान कहते हैं कि लालसिंह चिल्लाया कि उसके पापा को मार देंगे। गवाह पी.ड.-15 भैरूसिंह भी लालसिंह का मौके पर उपस्थित होना नहीं बताता है व सभी गवाहान तोते की तरह रटे हुए एक से कथन करते हैं। पी.ड.-1 गोपाल ने इस सुझाव को सही स्वीकार किया है कि गोविन्द सिंह ने गण्डासी धार की तरफ से चोट मारी, जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक के हाथ पर धारदार प्रकृति की कोई चोट नहीं है। गवाह पी.ड.-3 पूजा ने एक्सीडेन्ट में मृतक के चोटें आना बताया है। लालसिंह दो व्यक्तियों द्वारा कुएं पर बात करना बताता है, जबकि पी.ड.-14 गीताबाई पांच जनों का व पी.ड.-3 पूजा चार मुलजिमान का कुएं पर बैठा होना कहती है। मुलजिमान से तथाकथित प्रयुक्त हथियारों की जब्ती साबित नहीं है एवं ना ही तथाकथित हथियार न्यायालय के समक्ष लाये गये। गवाहों के एक समान रटे हुए बयानों व दौराने प्रतिपरीक्षा आये विरोधाभास को देखते हुए अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैः-

1- **(2009) 14** SCC **267** STATE OF MAHARASHTRA VS AHMED SHAIKH BABAJAN AND OTHERS.
2- **(2013) 12** SCC **441** ANIL AND ANOTHER VS STATE OF MAHARASHTRA
3- **(2001) 9** SCC **632** KALYAN AND OTHERS VS STATE OF U.P.
4- **1994** Supp **(1)** SCC **632** STATE OF PUNJAB VS MOHRI RAM AND OTHERS
5- **1997** SCC **(**Cri**) 1222** RAMBILAS AND OTHERS VS STATE OF M.P.
6- **MANU/MH/0349/2022** Komal and Ors. VS The State of Maharashtra
7- **(2002) 9** scc **408** CHANDU VS STATE OF MAHARASHTRA
8- **(2010) 6** SCC **525** NIRANJAN PANJA VS STATE OF WEST BENGAL
9- **(2023) 18** SCC **783** NARENDRA SINH KESHUBHAI ZALA VS STATE OF GUJARAT
10- **2015 (3)** RLW **2492 (**Raj.**)** Anil Kumar VS State of Rajasthan
11- **(2024) 8** SCC **149** BABU SAHEBAGOUDA RUDRAGOUDAR AND OTHERS VS STATE OF KARNATAKA

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय एवं विचारण योग्य बिन्दु निम्न है-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.06.2019 को रात्रि करीब 9.30 बजे या इसके लगभग मौजा खारपा खुर्द में परिवादी गोपाल सिंह के भाई पूरसिंह के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब पूरसिंह का सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसके साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादी के भाई पूरसिंह को जान से मारने की नियत से ऐसी गम्भीर उपहतियां कारित की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तूफान सिंह की सूचना व निशादेही उनके चेतन्य कब्जे से घटना में प्रयुक्त क्रमशः गण्डासी व तलवार बरामद की गयी, जिन्हें अपने कब्जे में रखने/परिवहन करने का तत्समय उनके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?"

10- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-1 गोपाल सिंह स्वयं परिवादी व मृतक का भाई है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.06.19 को रात के करीब 9.00-9.30 बजे की बात है। पूरसिंह उसका भाई है, जो आटा की पोटली लेने सज्जन सिंह के वहां पर गया था। उसके बाद पूरसिंह का लडका लालसिंह उसको बुलाने के लिए गया था। जब वो कुंए के पास पहुंचा तो पूरसिंह ने बोला कि तु आगे चल मैं आ रहा हूं। लालसिंह कुंए के पास आया, तब वहां गोविन्द सिंह और तुफान सिंह बात कर रहे थे कि यहां पूरसिंह आएगा तब उसे मारेंगे। वह मेडी पर खडा था, तो लालसिंह ने वहीं से चिल्लाकर बोला कि बडे पापा-बडे पापा उसके पापा को मारेंगे। तो वह और उसकी लडकी पूजाबाई दोनों वहां से दौडे। गडार में उनकी बाई गीताबाई खडी थी। वे दौडकर वहां कुंए के पास गए। नरवर सिंह के मकान के पास नरवर सिंह, तुफान सिंह, गोविन्द सिंह, श्रवण सिंह, विनोद सिंह खडे थे। इन सभी ने पूरसिंह के आमक-झुमा होकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर तुफान सिंह ने पूरसिंह के सिर पर तलवार की मारी। गोविन्द सिंह ने हाथ पर गण्डासी की मारी। विनोद सिंह ने पूरसिंह के हाथ पैर पर लटठ की मारी। श्रवणसिंह व दिलीपसिंह ने मूंह पर और सिर पर पत्थर की मारी। नरवर सिंह ने हाथ पैर पर लटठ की मारी। फिर वो उसके भाई को वहां मरा समझकर छोडकर चले गये। फिर वे उनके भाई को कंधे पर लेकर आए और पिडावा अस्पताल ले गये वहां से उसे झालावाड अस्पताल रैफर कर दिया। फिर झालावाड से भी सुबह कोटा रैफर कर दिया। कोटा में तीन-चार बजे करीब दौराने इलाज ही उसके भाई की मृत्यु हो गयी। घटना से तीन-चार दिन पहले आमने-सामने मोटर साईकिल की इनके टक्कर हो गयी थी, इस कारण मुलजिमान ने पूरसिंह के साथ मारपीट की थी। इस घटना की रिपोर्ट करने वे पिडावा थाने में गए, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है। पुलिस ने पूरसिंह की लाश की फोटोग्राफी की, जिसकी फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी.-2 है। पुलिस ने पूरसिंह की लाश का पंचायतनामा तैयार किया, जो प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने पूरसिंह की लाश उनके सुपुर्द की, जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी.-4 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-5 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से खुन आलूदा व सादा मिटटी जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-6 है। फर्द जब्ती खुन आलूदा कपडे एक पेंट शर्ट प्रदर्श पी.-7 है। फर्द डेमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-8 है। जिन सभी फर्दात् पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने पुरसिंह को पडे हुए देखा था। फिर कहा कि उसने पूरसिंह के साथ मारपीट होते देखी थी, उसके सामने ही उसके साथ मारपीट हुयी थी। आगे

स्वीकार किया है कि गोविन्द सिंह ने धार की तरफ से गण्डासी से पूरसिंह के हाथ पर मारी थी।

11- गवाह पी.ड.-2 लालसिंह उर्फ दीपक सिंह मृतक का पुत्र है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.06.19 को रात के करीब 9-9.30 बजे वह व उसकी दादी गीताबाई दोनों घर पर थे। उसके पिताजी पूरसिंह गांव में सज्जन सिंह की आटा चक्की पर गेंहू पीसाने गये थे। कुछ देर तक वापस नहीं आये। उसकी दादी ने कहा कि पिताजी को बुलाकर ला तो वह साईकिल लेकर उसके पापा को बुलाने गया, तो रास्ता में नरवर सिंह का मकान था, कुएं के पास में तूफान सिंह व गोविन्द सिंह दोनों बैठकर कर बातें कर रहे थे, वह चक्की पर चला गया था, जहां पर उसने उसके पापा को चलने के लिए कहा तो उसके पापा ने कहा कि तू चल मैं आटा की बोरी लेकर अभी आता हूं। तो वह साईकिल लेकर घर की तरफ वापस आया। रास्ता में कुऐं के पास बैठा तूफान सिंह, गोविन्द सिंह दोनों बातें कर रहे थे कि पूरसिंह को आज मारेंगे तैयार हो जा आने वाला ही है। तो वह जोर-जोर से चिल्लाते हुये उसके बडे पापा गोपाल सिंह के घर की तरफ गया और जोर-जोर से कहा कि बडे पापा उसके पापा को मार देगें आप चलो। उसके बडे पापा गोपाल सिंह उनकी लडकी पूजा वे तीनों ही दौड कर आये तो उसकी दादी रास्ता में खडी थी वह भी उनके साथ हो गई। वे चारों ही उसके पापा को लेने गये तो उसके पापा सज्जन सिंह के मकान की तरफ से वापस घर की तरफ मोटर साईकिल से आते नजर आये। रास्ता में नरवर सिंह के मकान के सामने तूफान सिंह, गोविन्द सिंह, दिलीप सिंह, विनोद सिंह, नरवर सिंह पांचों ने एक राय होकर लट्ठ, गण्डासी, तलवार लेकर उसके पापा पूरसिंह के आडे फिर कर उन्हें रोक लिया। सभी ने उसके पापा के साथ मारपीट करनी शुरु कर दी। उसके पापा को उन्होनें मोटर साईकिल से नीचे गिरा दिया। तूफान सिंह ने तलवार की सिर पर मारी, गोविन्द सिंह ने गण्डासी की हाथ पर, विनोद सिंह ने लट्ठ की पैरों पर मारी, दिलीप सिंह ने पत्थर की सिर व मुंह पर मारी। नरवर सिंह ने लकडी की हाथ पैर पर मारी तो उसने व उसके बडे पापा गोपाल सिंह जी व उसकी दादी, पूजा उन चारों ने मिल कर उसके पापा पूरसिंह जी का बीच-बचाव किया तो ये लोग उसके पापा को मरा हुआ समझ कर छोड कर भाग गये। उसके पापा के सिर, हाथ पैर, मुंह पर गम्भीर चोटें आई उनके खून निकल आया था। तो उन्हें तुरन्त वहां से लेकर घर पर आये जहां से गाडी में लेकर पिडावा अस्पताल लेकर गये पिडावा से झालावाड रैफर कर दिया था, झालावाड से कोटा ईलाज के लिये रैफर कर दिया। जहां दूसरे दिन उसके पापा की मृत्यु हो गयी। इन लोगों ने उसके पापा को पुरानी रंजिश को लेकर लठ, गण्डासी, तलवार, पत्थर से मारपीट कर हत्या की है। यह सारी घटना उसने,

नरवर सिंह के मकान के सामने कुऐं के पास डी.पी. के यहां पर जल रहे बल्ब के उजाले में अच्छी तरह से देखी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि जब वे पूरसिंह जी को उठा कर ले जा रहे थे तब गांव के भैरूसिंह, पप्पूसिंह, मांगूसिंह बाद में आ गये थे।

12- गवाह पी.ड.-3 पूजा परिवादी की पुत्री है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.06.19 को रात के करीब 9-9.30 बजे वह व उसके पिताजी घर पर ही थे। उसके अंकल पूरसिंह का लडका लालसिंह उर्फ दीपक सिंह जोर-जोर से हांका करता हुआ आया जिसने उसके पापा को बताया कि बडे पापा, उसके पापा को मार देगें, आप चलो। इस पर वह व उसके पापा लालसिंह उर्फ दीपक सिंह व उसकी दादी मां जो उसके अंकल के मकान के सामने खडी थी। वे चारों उसके अंकल को लेने गये तो उसके अंकल मोटर साईकिल से वापस घर आ रहे थे। रास्ते में नरवर सिंह के मकान के सामने गोविन्द सिंह, तूफान सिंह, विनोद सिंह, श्रवन सिंह उर्फ दिलीप सिंह व नरवर सिंह ने एक राय होकर लठ, गण्डासी व तलवार लेकर उसके अंकल पूरसिंह को आडे फिर रोक लिया और सभी ने उसके अंकल के साथ मारपीट करना शुरु कर दिया और उसके अंकल को मोटर साईकिल से नीचे पटक कर तूफान सिंह ने तलवार की उसके अंकल के सिर पर, गोविन्द सिंह ने गण्डासी की उसके अंकल के हाथ पर, विनोद सिंह ने लठ की पैरों पर व श्रवनसिंह उर्फ दिलीप ने पत्थर की सिर व मुंह पर तथा नरवर सिंह ने लकडी की हाथ पैर पर मारी। उसने व उसके पिताजी ने लालसिंह उर्फ दीपक सिंह व उसकी दादी मां गीताबाई उन चारों ने मिलकर उसके अंकल पूरसिंह का बीच-बचाव करने लगे। सभी मुलजिमान उसके अंकल को मरा हुआ समझ कर वहां से भाग गये। उसके अंकल के हाथ, पैर, मुंह व सिर पर गम्भीर चोटें आने से खून बहुत बहने लग गया था। उसके अंकल को वे घर पर लेकर आये जहां से उसके परिवार वाले उसके अंकल को गाडी में डालकर पिडावा अस्पताल लेकर गये। इन लोगों ने उसके अंकल के साथ पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से पत्थर से मारपीट कर हत्या की है। यह सारी घटना उसने नरवर सिंह के मकान के सामने कुंऐ के पास डिपी के यहां पर जले हुये बल्ब के उजाले में अच्छी तरह से देखा है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसके पापा पूरसिंह को कंधे पर डाल कर लाये थे और उसके पापा के कपडे भी खून में हो गये थे। आगे स्वीकार किया है कि जब उसके पिताजी उसके अंकल पूरसिंह जी को कंधे पर लेकर जा रहे थे तब भी वह गिर गये थे।

13- गवाह पी.ड.-4 डॉ. देशराज चावला चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15-06-19 को सहायक आचार्य के पद पर जनरल सर्जरी विभाग एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में कार्यरत रहते हुए, थाना पिडावा के प्रतिवेदन पर मृतक पूरसिंह की लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया था। मेडिकल बोर्ड में वह स्वयं जनरल सर्जन व मेडिकल ज्यूरिष्ठ डॉ. बृजेश टटवाल व डॉ. सुरेन्द्र कुमार मीणा शामिल थे। दौराने परीक्षण मृतक का शरीर औसतन विकसित था, पूरे शरीर पर राईगर मोर्टिस उपस्थित थे। शरीर का पीछे का नीचे का हिस्सा डेपेंडेंट पार्ट पर पोस्टमार्टम स्टेनिंग उपस्थित थी। दोनों आंखों की पुतलियां स्थिर थी। बायीं आंख काली पडी हुयी थी। सीधे नथूने पर खून का थक्का था। घाव नं.-1 बायीं आईब्रो पर छह सेमी का टांके लगा हुआ घाव था जिसके मार्जिन अनियमित थे और उस पर खून का थक्का था। घाव नं.-2 ललाट के बांये तरफ सात सेमी का टांके लगा हुआ घाव था जिस पर भी खून का थक्का था, जो तिरछा था। दोनों टांके लगे हुए घावों के बीच में काली आंख थी जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-3 पहले व दूसरे घाव के बीच में 2 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिस पर भी खून का थक्का था। घाव नं.-4 दांयी तरफ उपरी होंठ पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-5 ठुड्डी के नीचे 3 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिस पर खून का थक्का था। घाव नं.-6 मिड पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन पर 7 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-7 बांयी तरफ के ऑक्सीपिटल रीजन पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था। घाव नं.-8 बांयी भुजा पर एन्टिरोलेटरली 5*3, 2*1, 2*0.5 सेमी के छिले हुए घाव थे। घाव नं.-9 बांयी भुजा पर पीछे की तरफ 15*10 सेमी के छिले हुए घाव थे। घाव नं.-10 सीधी जांघ पर सामने की तरफ 8*3.5 सेमी के छिले हुए दो घाव थे। घाव नं.-12 पेट के निचले हिस्से पर 6*3 सेमी का छिला हुआ घाव था। मृतक के आंतरिक अंगों की चोटें निम्न थी - घाव नं.-6, 7 व 1, 2 की कन्टिन्यूटी में सबस्केलप हिमेटोमा था जो बांयी तरफ के फ्रन्टल रीजन व बांयी पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन में था। आगे की जांच में फ्रन्टो ऑक्सीपिटल रीजन में सबड्यूरल हिमेटोमा था और आगे की जांच में बांये फ्रन्ट ऑक्सीपिटल लोब में पिंचड कन्टयूजन थे। आगे की जांच में लेफ्ट एन्टीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रेक्चर था जो खून के थक्के के साथ था। पेट-घाव नं.-12 की कन्टिन्यूटी में बांयी तरफ रिट्रो पेरिटोनियल हिमेटोमा था। बांयी तरफ के गुर्दे पर केप्सूल के नीचे खून का थक्का था व मांसपेशियों में भी खून का थक्का था। उनकी राय में मृत्यु का कारण शॉक था जो मृतक की मृत्यु से पहले लगी हेड इंजरी व रिट्रो पेरिटोनियल हिमेटोमा के कारण था। मृतक के शरीर से

ब्लड शॉक्ड गोजपीस लेकर एक सीलशुदा कांच की बोतल में क्रॉस मेचिंग विद विपन के लिए लेकर पुलिस को सुपुर्द किये थे। घाव नं.-11 लेफ्ट सीने पर 3*1/4, 2*1/4 के घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उनकी राय अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि मेडिकल ज्यूरिपडेन्स का कोई डिप्लोमा या डिग्रीम उसने अलग से नहीं लिया है। आगे स्वीकार किया है कि सफाई कर्मी व स्वीपर वगैराह उनके सामने लाश की कांट-छांट करते है और वे देखते है। आगे स्वीकार किया है कि अगर मृतक को समय पर अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो उसका बचना संभव था। पोस्टमार्टम प्रदर्श पी.-9 डॉ. बृजेश की हस्तलिखित है। आगे स्वीकार किया है कि पोस्टमार्टम के समय वे यह नहीं बता सकते कि चोटें किसी वेपन से कारित हुयी या कहीं गिरकर हुयी तथा यदि कोई व्यक्ति भारी सामान लेकर तेज गति से मोटर साईकिल से जा रहा हो और किसी गहरे गडढे में गिर जाये तो इस प्रकार की हैड इंजरी आना संभव है।

14- गवाह पी.ड.-5 धीरज सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है व अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है।

15- गवाह पी.ड.-6 ईश्वर सिंह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है व अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है।

16- गवाह पी.ड.-7 सौदान सिंह नक्शा मौका व फर्द जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-5 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने खून आलूदा व सादा मिटटी जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने खून आलूदा कपडे जब्त किये थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द डेमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं करता है।

17- गवाह पी.ड.-8 कालूसिंह नक्शा मौका व फर्द जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-5 बनाया, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। पुलिस ने उसके सामने खून आलूदा व सादा मिटटी जब्त की, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा

निशानी अंकित है। पुलिस ने उसके सामने खून आलूदा कपडे जब्त किये थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी अंकित है। फर्द डेमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं करता है।

18- गवाह पी.ड.-9 नारायण सिंह फर्द फोटोग्राफी, पंचायतनामा व सुपुदर्गी लाश का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले पुलिस ने उसके सामने मृतक पूरसिंह की लाश की फोटोग्राफी करवायी, फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण लाश व पंचायतनामा प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतक पूरसिंह के फोटोग्राफ शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि प्रदर्श पी.-2, 3 व 4 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने पिडावा थाने पर ही करा लिये हो।

19- गवाह पी.ड.-10 सज्जन सिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले शाम को 8-9 बजे वह घर पर चक्की चला रहा था। फिर पूरसिंह उसके घर से आटे की पोटली लेकर उसके घर गया था। बाद में गांव में हल्ला सुनकर वह उनके घर से थोडी दूर पर कुआ है, जहां वह गया वहां पर उसने पूरसिंह को उसकी माताजी, गोपाल सिंह, पूजा बाई द्वारा ले जाते हुए देखा। पूरसिंह के साथ क्या हुआ उसे पता नहीं। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उसके पुलिस में बयान होने से इन्कार करते हुए, उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी.-20 का घटना से संबंधित महत्वपूर्ण एवं तात्विक ए से बी भाग जिसमें "मैने औरतों के चिल्लाने.......................लेकर चले गये थे," सुनकर पुलिस को बताये जाने से इन्कार किया है तथा इसमें क्यों लिखा उसे पता होने से भी इन्कार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने पूरसिंह को उसकी माताजी, गोपाल सिंह, पूजा बाई द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा हो। वह 10-11 बजे तक चक्की चलाता है। आगे स्वीकार किया है कि चक्की चलाता है, तो वह चक्की के पास ही खडा रहता है।

20- गवाह पी.ड.-11 शंकरसिंह फर्द फोटोग्राफी, पंचायतनामा व सुपुर्दगी लाश का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले मृतक पूरसिंह की लाश की फोटोग्राफी कराई थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण लाश पंचायतनामा पूरसिंह लाश प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं करता है।

21- गवाह पी.ड.-12 पप्पूसिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह खारपाखुर्द का रहने वाला है। उसके सामने कभी कोई घटना नहीं हुयी। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है।

22- गवाह पी.ड.-13 कमलसिंह फर्द जब्ती का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि गांव में पुलिस आयी हो तो उसे पता नहीं। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की। फर्द जब्ती बांस की लकडी प्रदर्श पी.-11, फर्द जब्ती गंडासी प्रदर्श पी.-12, फर्द जब्ती एक पत्थर प्रदर्श पी.-13, फर्द जब्ती एक तलवार प्रदर्श पी.-14, फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी.-15 लगायत 18 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जो उसने पुलिस वालों के कहने से पिडावा थाने में किये थे। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई सामान जब्त किया हो और उसके सामने बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया हो तथा वह मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

23- गवाह पी.ड.-14 गीताबाई मृतक व परिवादी की माँ है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले रात को 8-9 बजे करीब पूरसिंह चक्की पर आटा लेने गया था। उसने उसके पोते लालसिंह को उसे बुलाने के लिए भेजा। पूरसिंह ने उससे कहा कि तू चल वह आ रहा है। रास्ते में नरवर सिंह के मकान के यहां तुफान सिंह, गोविन्द सिंह, दिलीप सिंह, नरवर सिंह, विनोद सिंह बातें कर रहे थे कि पूरसिंह को मारेंगे। उसका पोता चिल्लाता हुआ आया और उसने आकर बताया कि उसके पापा को मारने की बातें कर रहे है। फिर गोपाल सिंह, पूजाबाई, वह व लालसिंह चारों वहां गये। तुफान ने तलवार की पूरसिंह के सिर पर मारी। गोविन्द सिंह ने कल्पे वाली लकडी से पूरसिंह के हाथ व पैर पर मारी। दिलीप सिंह ने पत्थर की सिर व चेहरे पर मारी, जिससे उसका माथा फूट गया। नरवर सिंह ने लकडी की मारी। विनोद सिंह ने भी लकडी से मारी। फिर उन्होंने उसका

बीच-बचाव किया। तो उसे धक्का मारा, जिससे वह गिर गयी और उसका माथा फूट गया। फिर पूरसिंह को गोपाल सिंह कंधे पर उठाकर घर पर लाया। फिर उसको पिडावा ले गये। फिर झालावाड ले गये और उसके बाद कोटा ले गये। पूरसिंह कोटा में मर गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार करती है कि उसके पोते लालसिंह को दीपक सिंह के नाम से भी जानते है। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसने उसके पोते लालसिंह को पूरसिंह को बुलाने नही भेजा हो। आगे कथन किया है कि "रास्ते में नरवर सिंह के मकान के यहां तुफान सिंह, गोविन्द सिंह, दिलीप सिंह, नरवर सिंह, विनोद सिंह बातें कर रहे थे कि पूरसिंह को मारेंगे।" उक्त बात उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी.-3 में लिखा दी थी, इसमें क्यों नहीं लिखा उसे पता नहीं और उसके सिर पर लगी यह बात भी उसने पुलिस को बता दी थी पुलिस बयान प्रदर्श डी.-3 में क्यों नहीं लिखी उसे पता नहीं। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि वह उसके घर के बाहर नहीं खडी हो और उसने घटना नहीं देखी हो और उसके लडके के साथ किसी अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट की हो।

24- गवाह पी.ड.-15 भैरूसिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन साल पहले रात को 9.00-9.30 बजे वह उसके घर के बाहर खडा था और पप्पूसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह और वह बाते कर रहे थे। अचानक लडाई-झगडे की आवाज आयी। वह भागकर नरवर सिंह के मकान की तरफ गया तो उसने देखा कि तूफान सिंह के हाथ में तलवार, गोविन्द सिंह के हाथ में कलपे वाली लकडी, नरवर सिंह के हाथ में लाठी व विनोद सिंह के हाथ में भी लाठी, दिलीप सिंह के हाथ में पत्थर थे व पूरसिंह नीचे पडे हुए थे। उनकी मोटर साईकिल भी नीचे पडी हुयी थी। आटा की पोटली भी नीचे पडी हुयी थी व इन चारों पांचों ने अपने-अपने हथियार से पूरसिंह को घायल कर दिया। इतने में गोपाल सिंह, गीता बाई, पूजा, लालसिंह चारों आये और इन्होंने पूरसिंह को छुडवाया और ये सब भाग गये। इसके बाद गोपाल सिंह के घरवाले पूरसिंह को इलाज के लिए पिडावा ले गये। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि पूरसिंह के घर के पास ही अडवा ही उसका घर है और पूरसिंह उसके परिवार में है, लेकिन उसका काका नहीं लगता है। आगे स्वीकार किया है कि दिनांक 13-06-19 की घटना है। आगे कथन किया है कि वह दूर से खडा होकर उसके रिश्तेदार के साथ मारपीट होते हुए देख रहा था। फिर कहा कि वह अकेला क्या करता, उनके पास हथियार थे।

25- गवाह पी.ड.-16 कालीबाई मृतक की पत्नी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब तीन-साढे तीन साल पहले रात को आठ-साढे आठ बजे की बात है। उसे बुखार आ रहा था, वह घर पर ही लेटी थी। उसके सास गीताबाई घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। उसका लडका दीपक, लालसिंह घर के बाहर अद्दा चला रहा था। उसकी सासू ने बोला कि बहुत देर हो गयी तेरे पापा को बुलाकर ला, तो उसका लडका बुलाने गया था। तो उसके पति ने उससे कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूं। वापस रास्ते में कुंए के पास तुफान सिंह व गोविन्द सिंह बात कर रहे थे कि पूरसिंह उधर आये तो उसको मारना है। फिर उसका लडका वहीं से चिल्लाता हुआ घर पर आया और बोला कि उसके पापा को मार देंगे। तो इस पर उसके जेठ गोपाल सिंह, उसकी सास गीताबाई, पूजाबाई, लालसिंह, दीपक मौके पर गये, ये चारों वहां से पूरसिंह को लेकर उसके घर पर आये। उसने देखा कि उसके पति के सिर पर व सभी जगह चोटें थी, खून बह रहा था। उसके लडके ने बताया कि वहां पर वे गये तब तुफान सिंह, गोविन्द सिंह, नरवर सिंह, विनोद सिंह, दिलीप सिंह ने पूरसिंह के साथ मारपीट की थी। तुफान सिंह के हाथ में तलवार, गोविन्द सिंह के हाथ में करपा वाली लकडी, नरवर सिंह, विनोद सिंह के हाथ में लकडियां थी। दिलीप सिंह के हाथ में पत्थर थे। ये सब उसके लडके ने उसे बताया था। फिर वे उसके पति को लेकर पिडावा अस्पताल गये थे। पिडावा अस्पताल से उसके पति को झालावाड अस्पताल लेकर आये उसके बाद कोटा अस्पताल ले गये जहां दौराने इलाज उनकी मृत्यु हो गयी। इस घटना से आठ-दस दिन पहले किसी बात के विवाद को लेकर रंजिशवश पूरसिंह के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि इस घटना से दस दिन पहले इनकी मोटर साईकिलें भिड गयी थी। आगे स्वीकार किया है कि आठ-दस दिन पहले मोटर साईकिलें ही भिडी थी, पूरसिंह के साथ मारपीट नहीं की थी और "इस घटना से आठ-दस दिन पहले किसी बात के विवाद को लेकर रंजिशवश पूरसिंह के साथ मारपीट करने वाली" उक्त बात पुलिस को नहीं बतायी थी। आगे स्वीकार किया है कि उसने स्वयं ने घटना नहीं देखी थी।

26- गवाह पी.ड.-17 मांगूसिंह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब दो-तीन साल पहले की बात है। वह गांव में नहीं था। क्या हुआ उसे पता नहीं। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है।

27- गवाह पी.ड.-18 दिलीप कुमार मालखाना इन्चार्ज है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15-06-19 को थाना पिडावा में हैड कानि. मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-135/19 में एम.बी.एस. अस्पताल

कोटा से मृतक पूरसिंह के खून का सैम्पल एक कांच की बोतल में लिया हुआ मार्क-1, उसे जरिये डाक प्राप्त हुआ, जिसको उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक-99 पर इन्द्राज कर मालखाना में जमा किया। दिनांक 18-06-19 को पैकेट मार्क ए, बी, सी सीलशुदा पैकेट अनुसंधान अधिकारी श्री रामकिशन द्वारा संभलाये, जो उक्त नम्बर पर इन्द्राज कर मालखाना में जमा किये। दिनांक 19-06-19 को चार सीलशुदा पैकेट मार्क डी, ई, एफ, जी अनुसंधान अधिकारी श्री रामकिशन द्वारा संभलाये, जो उक्त नम्बर पर इन्द्राज कर मालखाना में जमा किये। उक्त सभी आठ सीलशुदा पैकेट को दिनांक 26-08-19 को एफ.एस.एल. कोटा में जमा करवाने हेतु कानि. विनोद कुमार को मय अग्रेषण पत्र के संभलाये, जिनको विनोद कुमार कानि. द्वारा दिनांक 28-08-19 को एफ.एस.एल. रसीद क्रमांक-177/19 दिनांक 27-08-19 की लाकर उसे पेश की, जिसे उसने संबंधित अनुसंधान अधिकारी को संभला दी, जिनका इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में किया था। मालखाना रजिस्टर मूल प्रदर्श पी.-23 व प्रति प्रदर्श पी.-23 ए है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी विनोद कुमार के हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.-24 है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रामकिशन जी के हस्ताक्षर मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी.-23 में दिनांक 18-06-19 में नहीं है और मालखाना रजिस्टर में एस.एच.ओ. रामकिशन के हस्ताक्षर कब करवाये उसकी दिनांक का अंकन प्रदर्श पी.-23 में नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि उसे अनुसंधान अधिकारी श्री वृद्धिचन्द एवं रामकिशन द्वारा माल विनोद कुमार को संभलाने बाबत कोई पत्र नहीं दिया एवं ना ही उसका हवाला मालखाना रजिस्टर में है।

28- गवाह पी.ड.-19 विनोद कुमार नागर एफ.एस.एल. केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 26-08-19 को थाना पिडावा में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, थाने के प्रकरण सं.-135/19 में मालखाना इंचार्ज श्री दिलीप कुमार द्वारा उसे प्रकरण में जब्तशुदा सीलशुदा आठ पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एवं 1 को मय थाने के अग्रेषण पत्र के एफ.एस.एल. कोटा में जमा कराने हेतु दिये थे। उक्त पैकेट को लेकर वह एस.पी. कार्यालय गया एवं वहां से अग्रेषण पत्र तैयर करवाकर दूसरे दिन दिनांक 27-08-19 को उक्त पैकेट एफ.एस.एल. कोटा में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद क्रमांक-177 दिनांक 27-08-19 की लाकर मालखाना इंचार्ज को संभलायी। एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी.-24 है। एस.पी. कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.-25 है, जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कोई विरोधाभासी कथन नहीं करता है।

29- गवाह पी.ड.-20 रामकिशोर प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट केरियर का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14-06-19 को थाना पिडावा में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए, सी.आई. साहब रामकिशन जी द्वारा उसे सुधा अस्पताल कोटा में तहरीर लाने के लिए भेजा। वह सुधा अस्पताल कोटा गया तो वहां पर उसे कन्हैयालाल, ए.एस.आई. द्वारा एक तहरीरी दी, जिसे लेकर वह थाने पर आया और दिनांक 15-06-19 को 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग में तहरीरी थाने पर थानाधिकारी को पेश की, जिस पर एस.एच.ओ. साहब द्वारा प्रकरण सं.-135/19, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 भा.दं.सं. में दर्ज किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है, के से एल थानाधिकारी रामकिशन के हस्ताक्षर व आई से जे उनके द्वारा की गयी कार्यवाही पुलिस अंकित है। चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-26 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी थानाधिकारी रामकिशन जी के हस्ताक्षर है। थानाधिकारी रामकिशन जी के हस्ताक्षर उसके साथी उच्चाधिकारी रहे होने से पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि तहरीर किसकी कलमी थी यह उसकी जानकारी में नहीं है। उसने तो केवल तहरीर कन्हैयालाल जी ए.एस.आई. साहब से प्राप्त की थी।

30- गवाह पी.ड.-21 डॉ. बृजेश टटवाल चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15-06-19 को वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेसिंक मेडीसिन विभाग में एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में कार्यरत रहते हुए, एस.एच.ओ. पिडावा की तहरीर पर अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल एवं विभाग अध्यक्ष के माध्यम से मृतक पूरसिंह पुत्र रतनसिंह के शव परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसका वह चेयरमेन था। उसके साथ मेडिकल बोर्ड में सुरेन्द्र मीणा फोरेसिंक मेडीसीन विभाग एवं डॉक्टर देशराज जर्नल सर्जरी विभाग सदस्य थे। पूरसिंह के शव परीक्षण ए.एस.आई. कन्हैयालाल एवं मृतक के भाई गोपाल के बाद शिनाख्तगी किया गया था। पूरसिंह सुधा अस्पताल में दौराने ईलाज दिनांक 14.06.2019 को 3.55 पी.एम. पर मृत होने पर मुर्दा घर में रखवाया गया था। जो सुधा अस्पताल में दिनांक 14-06-2019 को भर्ती हुआ था। शव सामान्य कद काठी का था एवं उसके पूरे शरीर पर मृत्यु बाद की अकडन आयी हुई थी। शव के दाहिनी आंख से खून आ रहा था उन्होंने शव परीक्षण पर पाया कि शव पर निम्न लिखित चोटें थीः- घाव नं.-1 बायीं आईब्रो पर 6 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था

जिसके मार्जिन अनियमित थे और उस पर खून का थक्का था। घाव नं.-2 ललाट के बांये तरफ 7 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था जिस पर भी खून का थक्का था, जो तिरछा था, जिससे बांयी आंख के आस-पास कालापन (ब्लेक आई) आया हुआ था। दोनों टांके लगे हुए घावों के बीच में काली आंख थी जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-3 पहले व दूसरे घाव के बीच में 2 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिस पर भी खून का थक्का था। घाव नं.-4 दांयी तरफ उपरी होंठ पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-5 ठुड्डी के नीचे 3 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था, जिस पर खून का थक्का था। घाव नं.-6 मिड पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन पर 7 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव नं.-7 बांयी तरफ के ऑक्सीपिटल रीजन पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था। घाव नं.-8 5*3, 2*1, 2*0.5 सेमी के रगडनुमा घाव बांयी भुजा पर सामने व बगल में छिले हुए घाव थे। घाव नं.-9 15*10 सेमी की निलगू चोट बांयी भुजा पर पीछे एवं सामने की ओर। घाव नं.-10 समानान्तर निलगू चोट 8*3.5 सेमी दांयी जांघ पर सामने की ओर। घाव नं.-11 फटे हुए घाव 3*1/4, 2*1/4 के बांयी पैर पर सामने की ओर उपरी हिस्से में थे। घाव नं.-12 6*3 सेमी की समानान्तर निलगू चोट पेट पर निचले हिस्से में बांयी तरफ। मृतक के आंतरिक अंगों की चोटें निम्न थी - घाव सं.-6, 7 व 1 व 2 के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी तरफ सामने उपर एवं पीछे की ओर के हिस्से में सबस्केलप हिमेटोमा था आगे परीक्षण पर पाया कि सिर में सामने व पीछे की ओर एस.डी.एच. था, ब्रेन के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी साईड के सम्पूर्ण ब्रेन में बिन्दु आकर के खून के थक्के जमें हुए थे एवं बांयी तरफ की सामने की भित्ती में फ्रेक्चर था जहां खून जमा हुआ था। चोट नं.-12 के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी तरफ रिट्रो पेरिटोनियल हिमेटोमा था। बांयी तरफ के गुर्दे पर केप्सूल के नीचे खून का थक्का था व मांसपेशियों में भी खून का थक्का था। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। उनकी राय में मृतक की मृत्यु सिर में एवं पेट में आयी चोटों के सम्मिलित प्रभाव के कारण शॉक में जाने से हुई थी। जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी फिर भी हथियार के मिलान हेतु सेम्पल ले सील मोहर कर पुलिस को सुपुर्द किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 है, जिसके अंतिम पेज पर पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर व सी से डी उनकी राय अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि चोट नं.-1 लगायत 7 में केवल लम्बाई लिखी हुई है गहराई का अंकन नहीं है। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि कोठे चलती हुई मोटर साईकिल या उंचाई से गिरे तो चोट सं.-8 लगायत 12 आ सकती हो।

31- गवाह पी.ड.-22 वृद्धीचन्द गुर्जर अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 23-08-19 को सी.ओ. पिडावा के पद पर तैनात रहते हुए, एस.पी. साहब झालावाड के आदेश से थाना पिडावा के मुकदमा नं.-135/19, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 भा.दं.सं. की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान पूर्व अनुसंधान अधिकारी रामकिशन जी सी.आई. द्वारा किये अनुसंधान की ताईद करते हुये गवाहान धीरजसिंह, दिलीप कुमार, विनोद कुमार के बयान उनके कथनानुसार लिये थे। बाद अनुसंधान मुलजिमान तूफान सिंह, गोविन्द सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302/34 भा.दं.सं. व 4/25 आर्म्स एक्ट एवं दिलीप सिंह व नरवर सिंह के विरूद्ध पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर धारा 341, 323, 302/34 भा.दं.सं. में चार्जशीट कता करने हेतु पत्रावली एस.एच.ओ. पिडावा को भिजवा दी थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि गवाहान के बयान उसने अपनी मर्जी से लिखे हो और गवाह ने उसकी जानकारी में डाला हो कि पैकेटस एफ.एस.एल. ले जाते समय सील्डशुदा अवस्था में नहीं हो तथा दौराने अनुसंधान उसकी जानकारी में आया हो कि अभियुक्त निर्दोष है।

32- गवाह पी.ड.-23 रामकिशन अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.06.2019 को थाना पिडावा में एस.एच.ओ. के पद पर कार्यरत रहते हुए, श्री रामकिशोर कानि. ने कोटा से फरियादी गोपाल सिंह द्वारा पेश की गयी तहरीरी रिपोर्ट कन्हैयालाल ए.एस.आई. द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित करके प्रकरण दर्ज करने हेतु प्राप्त हुई थी। जिस पर मुकदमा नं.-135/19, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान उसके द्वारा प्रारम्भ किया गया था। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बयान फरियादी गोपाल सिंह व गवाहान ईश्वरसिंह, सज्जनसिंह, पप्पूसिंह, मांगूसिंह, कालीबाई, भैरूसिंह, दिलीपसिंह उर्फ दीपकसिंह, पूजाबाई, गीताबाई के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। फरियादी की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-5 बनाया, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी फरियादी व एक्स स्थान पर व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिटटी जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी फरियादी व एक्स स्थान व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर व तीन वाई स्थान पर नमूना सील अंकित है। खून आलूदा कपडे एक शर्ट पेन्ट मृतक पूरसिंह पेशकर्ता गोपाल सिंह से जब्त किये, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी फरियादी व एक्स स्थान व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर एवं तीन वाई स्थान

पर नमूना सील अंकित है। फर्द डैमेज मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर व ए से बी फरियादी व एक्स स्थान व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। मृतक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की थी, जो कि प्रदर्श पी.-9 है। मृतक पूरसिंह की लाश की फोटोग्राफी करवाकर शामिल पत्रावली की, फर्द फोटोग्राफी लाश प्रदर्श पी.-27 से 30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द डैमेज मोटर साईकिल के फोटोग्राफ शामिल पत्रावली किये थे। फर्द फोटोग्राफी मोटर साईकिल प्रदर्श पी.-31 से 34 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिम नरवर सिंह, दिलीप सिंह उर्फ सरवर सिंह, गोविन्द सिंह व तुफान सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302 भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द क्रमशः प्रदर्श पी.-35, 36, 37, 38 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम व इ से एफ, जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मुलजिमान का फोटो चस्पा है। मुलजिमान द्वारा दी गयी सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः प्रदर्श पी.-39, 40, 41, 42 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिमान का आपराधिक रिकोर्ड लेकर शामिल पत्रावली किया। गिरफ्तारशुदा मुलजिम नरवर सिंह से दी गयी सूचना के आधार पर एक बांस की लकडी उसके रिहायशी मकान से जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-11 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर तथा तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम गोविन्द सिंह से दी गयी सूचना के आधार पर एक गंडासी (फरसी) उसके रिहायशी मकान से जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-12 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम दिलीप सिंह से दी गयी सूचना के आधार पर एक पत्थर उसके रिहायशी मकान से जब्त किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-13 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम तुफान सिंह से दी गयी सूचना के आधार पर एक तलवार उसके रिहायशी मकान से जब्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी.-14 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी.-15 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम नरवर सिंह व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम

गोविन्द सिंह व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी.-17 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम दिलीप सिंह व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी.-18 है, जिस पर इ से एफ उसके, जी से एच मुलजिम तुफान सिंह व ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जब्तशुदा माल एफ.एस.एल. कोटा भेजा था। बाद अनुसंधान मुलजिमान तुफान सिंह, गोविन्द सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302/34 भा.दं.सं. तथा 4/25 आर्म्स एक्ट, मुलजिमान दिलीप सिंह उर्फ सरवर सिंह तथा नरवर सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302/34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय एम.जे.एम. पिडावा में आरोप पत्र पेश किया था। अपराध के संबंध में दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर आई सी जे उसके द्वारा किये गये पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन अंकित है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-26 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी दिनांक 13.06.2019 को रात में हुई थी और उसी दिन पुलिस थाने से जाब्ते को गांव खारपाखुर्द के लिए रवाना कर दिया था तथा दिनांक 13.06.2019 को घटनास्थल को प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-5 घटना के पांच दिन बाद बनाया गया और प्रदर्श पी.-5 बनाते समय उनके द्वारा क्राइम सीन की फोटोग्राफी नहीं की गयी तथा प्रदर्श पी.-5 में दर्शाये स्थल एक्स पर उन्हें किसी प्रकार के कोई भौतिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-5 में दर्शाये गये स्थल से उन्होंने किसी प्रकार का कोई मोटर साईकिल व आटा बरामद नहीं किया था। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-39, 40, 41, 42 में जो धारा 27 की सूचना अभियुक्तों द्वारा की गयी है उसमें केवल क्रमशः लकडी, पत्थर, गंडासी एवं हथियार का अंतर है बाकि पूरी सूचना एक जैसी है तथा प्रदर्श पी.-39 लगायत 42 लेखबद्ध किये जाते समय कोई स्वतंत्र गवाह का अंकन नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-15, 16, 17 व 18 में जो बरामदगी स्थल दर्शाये गये है वे मकान पूर्व में उसके द्वारा देखे जा चुके थे और प्रदर्श पी.-15 लगायत 18 में जब्ती स्थल मकान के अंदर के खुले स्थान है तथा प्रदर्श पी.-15 लगायत 18 नक्शा मौका बनाते समय उन्हें घर पर कौन-कौन मिला इस बात का अंकन फर्दों में नहीं है लेकिन उस दिन उनके परिवारजन घर पर ही थे। आगे स्वीकार किया है कि दिलीप सिंह पुत्र मेहरबान सिंह खेराना मध्यप्रदेश का रहने वाला था लेकिन उसके अनुसंधान में आया था कि दिलीप सिंह घटना के वक्त खारपाखुर्द गांव में ही मौजूद था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-15 लगायत 18 में दर्शाये

नक्शे मौके बाबत किसी भी सरपंच या पटवारी से किसी भी प्रकार का कोई स्वामित्व बाबत पटटा उनके द्वारा नहीं देखा गया और पत्रावली पर भी संलग्न नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि मालखाना रजिस्टर में जो भी आर्टिकल्स केस से संबंधित जमा कराये गये थे उस बाबत मालखाना रजिस्टर में उसके कोई भी हस्ताक्षर नहीं है और जब्त किये गये हथियारों से कोई फिंगरप्रिंट के सैम्पल नहीं लिए गये थे तथा अभियुक्तगण से कोई फिंगरप्रिंट सेम्पल नहीं लिये गये थे।

33- गवाह पी.ड.-24 डॉ. सुरेन्द्र कुमार मीणा चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15-06-19 को मैं वरिष्ठ प्रदर्शक फोरेसिंक मेडीसिन विभाग में एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में कार्यरत रहते हुए, एस.एच.ओ. पिडावा की तहरीर पर अधीक्षक एम.बी.एस. अस्पताल एवं विभाग अध्यक्ष के माध्यम से मृतक पूरसिंह पुत्र रतन सिंह के शव परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसके चेयरमेन डॉ. ब्रजेश टटवाल थे। मेडिकल बोर्ड में वह व डॉ. देशराज जर्नल सर्जरी विभाग सदस्य थे। पूरसिंह के शव परीक्षण ए.एस.आई. कन्हैयालाल एवं मृतक के भाई गोपाल के बाद शिनाख्तगी किया गया। पूरसिंह सुधा अस्पताल में दौराने ईलाज 3.55 पी.एम. 14.06.2019 मृत होने पर मुर्दा घर में रखवाया गया। जो सुधा अस्पताल में दिनांक 14.06.2019 को भर्ती हुआ था। शव सामान्य कद काठी का था एवं उसके पूरे शरीर पर मृत्यु बाद की अकडन आयी हुई थी। शव के दाहिनी आंख से खून आ रहा था, उन्होंने शव परीक्षण पर पाया कि शव पर 12 चोटें थी, जिनमें घाव सं.-1 बांयी आईब्रो पर 6 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिसके मार्जिन अनियमित थे और उस पर खून का थक्का था। घाव सं.-2 ललाट के बांये तरफ 7 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिस पर भी खून का थक्का था, जो तिरछा था, जिससे बांयी आंख के आस-पास कालापन (ब्लेक आई) आया हुआ था। दोनों टांके लगे हुए घावों के बीच में काली आंख थी, जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव सं.-3 पहले व दूसरे घाव के बीच में 2 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिस पर भी खून का थक्का था। घाव सं.-4 दांयी तरफ उपरी होंठ पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव सं.-5 ठुड्डी के नीचे 3 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिस पर खून का थक्का था। घाव सं.-6 मिड पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन पर 7 सेमी का टांके लगा हुआ घाव, जिसके मार्जिन अनियमित थे। घाव सं.-7 बांयी तरफ के ऑक्सीपिटल रीजन पर 4 सेमी का टांके लगा हुआ घाव था। घाव सं.-8 5*3, 2*1, 2*0.5 सेमी के रगडनुमा घाव बांयी भुजा पर सामने व बगल में छिले हुए घाव थे। घाव सं.-9 15*10 सेमी की निलगू चोट बांयी भुजा पर पीछे एवं सामने की ओर। घाव सं.-10

समानान्तर निलगू चोट 8*3.5 सेमी दांयी जांघ पर सामने की ओर। घाव सं.-11 फटे हुए घाव 3*1/4, 2*1/4 के बांयी पैर पर सामने की ओर उपरी हिस्से में थे। घाव सं.-12 6*3 सेमी की समानान्तर निलगू चोट पेट पर निचले हिस्से में बांयी तरफ। मृतक के आंतरिक अंगों की चोटें निम्न थी - घाव सं.-6, 7 व 1 व 2 के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी तरफ सामने उपर एवं पीछे की ओर के हिस्से में सबस्केलप हिमेटोमा था। आगे परीक्षण पर पाया कि सिर में सामने व पीछे की ओर एस.डी.एच. था, ब्रेन के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी साईड के सम्पूर्ण ब्रेन में बिन्दु आकर के खून के थक्के जमें हुए थे एवं बांयी तरफ की सामने की भित्ती में फ्रेक्चर था जहां खून जमा हुआ था। चोट सं.-12 के आगे परीक्षण पर पाया कि बांयी तरफ रिट्रो पेरिटोनियल हिमेटोमा था। बांयी तरफ के गुर्दे पर केप्सूल के नीचे खून का थक्का था व मांसपेशियों में भी खून का थक्का था। सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। उनकी राय में मृतक की मृत्यु सिर में एवं पेट में आयी चोटों के सम्मिलित प्रभाव के कारण शॉक में जाने से हुई थी। जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी फिर भी हथियार के मिलान हेतु सेम्पल ले सील मोहर कर पुलिस को सुपुर्द किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 है, जिसके अंतिम पेज पर जी से एच उसके हस्ताक्षर व सी से डी उनकी राय अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में इस सुझाव को गलत होना बताया है कि घाव सं.-8 से 12 मोटर साईकिल से गिरने से आना संभव हो और प्रकृति के सामान्य क्रम में कोई भी चोट अपने आप में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर कथन किया कि सिर में आयी चोटें मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। आगे स्वीकार किया है कि बोर्ड की राय में सिर्फ सिर की चोट से मृत्यु कारित होने का अंकन नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि बोर्ड की राय में उन्होंने पाया कि चोटों का क्युमिलिटिव इफेक्ट मृत्यु का कारण है।

34- गवाह पी.ड.-25 कन्हैयालाल प्रारम्भिक अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.06.2019 को पुलिस थाना पिडावा में ए.एस. आई. के पद पर कार्यरत रहते हुए, वी.एच.एफ. कन्ट्रोल रूम झालावाड से सूचना मिली कि एक मजरूब पूरसिंह सुधा अस्पताल कोटा में भर्ती है। उक्त सूचना पर वह सुधा अस्पताल कोटा पहुंचा, जहां पर उसे एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट गोपाल सिंह ने पेश की जो प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी गोपाल के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा सुधा अस्पताल कोटा में कार्यवाही का पृष्ठांकन किया। पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन ओ से पी व एम से एन उसके हस्ताक्षर है। इसके उपरान्त उसके द्वारा

मृतक पूरसिंह की लाश की फोटोग्राफी की, जिसकी फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर, ए से बी फरियादी के हस्ताक्षर व इ से एफ व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। फर्द निरीक्षण लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर एम से एन उसके हस्ताक्षर, ए से बी फरियादी व सी से डी, इ से एफ, जी से एच, आई से जे व के से एल गवाहान के हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम मृतक पूरसिंह की लाश गोपाल सिंह को सुपुर्द की, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी गोपाल व सी से डी गोपाल व इ से एफ, जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है। उक्त सभी कार्यवाही किये जाने के उपरान्त मूल तहरीर रिपोर्ट के साथ तीनों फर्दात रामकिशोर कानि. को देकर उसने पुलिस थाना पिडावा में मुकदमा दर्ज करवाने हेतु भेजा था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रिपार्ट प्रदर्श पी.-1 किसकी कलमी है उसे नहीं पता। फिर कथन किया कि उसे तो गोपाल सिंह ने लिखवाकर दी थी।

35- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया जाये, तो परिवादी पी.ड.-1 गोपाल सिंह स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए, अपने बयानों में स्पष्ट कथन करता है कि घटना की दिनांक 13.06.2019 को रात्रि 9.30 बजे इसका भाई पूरसिंह आटा की पोटली लेने गया था। उसके बाद पूरसिंह का लड़का लालसिंह उसे बुलाने गया, जब वो कुएं के पास पहुंचा, तो पूरसिंह ने बोला कि तु आगे चल वह आ रहा है। लालसिंह कुएं के पास आया तो अभियुक्तगण गोविन्द सिंह और तुफान सिंह बात कर रहे थे कि यहां पूरसिंह आयेगा तो उसे मारेंगे। यह मेड़ी पर खड़ा था तो लालसिंह ने वहीं से चिल्लाकर बोला कि बड़े पापा-बड़े पापा उसके पापा को मारेंगे। तो यह, इसकी लड़की पूजा, गडार में खड़ी गीता दौड़कर कुए के पास पहुंचे तो अभियुक्तगण नरवर सिंह, तुफान सिंह, गोविन्द सिंह, श्रवण सिंह ने आमक-झुमा होकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर तुफान सिंह ने पूरसिंह के सिर पर तलवार की मारी। गोविन्द सिंह ने हाथ पर गण्डासी की मारी। विनोद सिंह ने पूरसिंह के हाथ पैर पर लट्ठ की मारी। श्रवण सिंह व दिलीप सिंह ने मूंह पर और सिर पर पत्थर की मारी। नरवर सिंह ने हाथ पैर पर लट्ठ की मारी। फिर वो इसके भाई को मरा समझकर छोड़कर चले गये। यह अपने भाई को कंधे पर लेकर पिड़ावा अस्पताल लाये, वहां से झालावाड़ अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से कोटा रेफर कर दिया और कोटा में दौराने ईलाज इसके भाई की मृत्यु हो गयी तथा मारपीट का कारण बताते हुए कहता है कि घटना से 3-4 दिन पहले आमने-सामने मोटर साईकिल की इनके टक्कर हो गयी थी, इस कारण अभियुक्तगण ने पूरसिंह के साथ मारपीट की।

इसके अतिरिक्त दौराने प्रतिपरीक्षा कोई विरोधाभासी कथन गोपाल सिंह ने अपने बयानों में नहीं किये है। परिवादी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि मृतक का पुत्र लालसिंह मृतक को बुलाने के लिये गया था, तो उसने रास्ते में अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तुफान सिंह को बातें करते हुए सुना कि पूरसिंह आयेगा तो उसे मारेंगे। उक्त गवाह लालसिंह गवाह पी.ड.-2 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपने बयानों में पूर्णतया अभियोजन कहानी की ताईद करते हुए कहता है कि यह अपने पिता पूरसिंह को अपनी दादी के कहने पर चक्की पर बुलाने गया था, तो रास्ते में नरवर सिंह का कुएं के पास मकान था, तुफान सिंह व गोविन्द सिंह बात कर रहे थे कि पूरसिंह को आज मारेंगे, तैयार हो जा आने वाला ही है। जिस पर यह जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपने बड़े पापा गोपाल सिंह के घर पर गया और बताया कि उसके पापा को मार देंगे, आप चलो तो गोपाल सिंह, उनकी लड़की पूजा व इसकी दादी दौड़कर आये तथा यह भी आगे अपने बयानों में इस बात की ताईद करता है कि अभियुक्तगण नरवर सिंह, दिलीप सिंह, गोविन्द सिंह व तुफान सिंह व उनके साथ मौजूद एक अन्य ने एक राय होकर लट्ठ, गण्डासी, तलवार से इसके पिता पूरसिंह के साथ मारपीट की, जिन्हें ईलाज के लिये अस्पताल ले गये, वहां इसके पिता की मृत्यु हो गयी। पूरसिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची गवाह पूजा व गीता जिनमें से पूजा पी.ड.-3 के रूप में व गीता पी.ड.-14 के रूप में परीक्षित हुई है। गवाह पी.ड.-3 पूजा ने अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि उसके अंकल पूरसिंह का लड़का लालसिंह जोर-जोर से चिल्लाते हुए आया और उसके पापा को बताया कि बड़े पापा, उसके पापा को मार देंगे। इस पर यह व इसके पापा गोपाल सिंह व इसकी दादी गीताबाई तीनों मौके पर पहुंचे तो अभियुक्तगण एक राय होकर लट्ठ, गण्डासी व तलवार से पूरसिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। स्वयं कहती है कि अभियुक्तगण ने इसके अंकल के साथ पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी। इसी भांति गवाह पी.ड.-14 गीताबाई भी अपने बयानों में लालसिंह द्वारा किये गये इस कथन की ताईद करती है कि इसके पौते लालसिंह को चक्की पर पूरसिंह को बुलाने के लिये भेजा था और लालसिंह ने अभियुक्तगण को बात करते हुए सुना व चिल्लाकर आकर बताया कि उसके पापा को मारने की बातें कर रहे थे। जिस पर गोपाल सिंह, पूजाबाई, यह और लालसिंह वहां गये, जहां अभियुक्तगण पूरसिंह के सिाा मारपीट कर रहे थे तथा पूरसिंह को गोपाल सिंह कंधे पर उठाकर घर लाया और अस्पताल पिड़ावा ले गये। पूरसिंह की कोटा में मृत्यु हो गयी। गवाह पी.ड.-1 गोपाल सिंह, पी.ड.-2 लालसिंह, पी.ड.-3 पूजाबाई व पी.ड.-14

गीताबाई चारों स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित हुए हैं तथा दौनो प्रतिपरीक्षा भी स्वयं द्वारा दी गयी साक्ष्य के संबंध में विचलित नहीं हुए है।

36- इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड.-15 भैरूसिंह अपने बयानों में उपरोक्त गवाहान के बयानों की पूर्णतया ताईद करते हुए कहता है कि यह अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज आयी तो यह नरवर सिंह के मकान की तरफ भागकर गया तो इसने देखा कि तुफान सिंह के हाथ में तलवार, गोविन्द सिंह के हाथ में कलपे वाली लकड़ी, नरवर सिंह के हाथ में लाठी व दिलीप सिंह के हाथ में पत्थर थे व पूरसिंह नीचे पड़े हुए था। उसकी मोटर साईकिल भी नीचे पड़ी हुई थी। आटज्ञ की पोटली भी नीचे पड़ी हुई थी और इन इनके हथियारों से पूरसिंह को घायल कर दिया। इतने में गोपाल सिंह, गीताबाई, पूजा व लालसिंह आये और उन्होंने पूरसिंह को छुड़वाया और ये सब भाग गये। इसके बाद गोपाल सिंह के घरवाले पूरसिंह को ईलाज के लिये ले गये तथा दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार करता है कि पूरसिंह उसका रिश्तेदार था तथा यह बाहर खड़ा होकर इसके रिश्तेदार के साथ मारपीट करते हुए देख रहा था, स्पष्टीकरण देते हुए यह कहता है कि वह अकेला क्या करता, मुलजिमान के पास हथियार थे तथा इस सुझाव से इन्कार करता है कि मृतक के चोटें मोटर साईकिल से गिरने से आयी हो। इसके अतिरिक्त परीक्षित गवाह पी.ड.-16 कालीबाई मृतक की पत्नी है, जिसकी साक्ष्य से यह जाहिर है कि वह मौके पर नहीं गयी तथा उसने घटना होते हुए नहीं देखी तथा वक्त घटना स्वयं के घर पर ही मौजूद थी। लेकिन वह घटना के समय व उसके पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में सुसंगत साक्ष्य देते हुए इस बात की ताईद करती है कि यह घर पर ही लेटी थी और इसकी सास ने लाल सिंह को भेजा था कि अपने पापा को बुलाकर ला तो इसका लड़का लालसिंह चिल्लाता हुआ आया था कि इसके पापा को मार देंगे, जिस पर इसका जेठ गोपाल सिंह, इसकी सास गीताबाई, पूजाबाई, लालसिंह मौके पर गये थे और यह चारों पूरसिंह को लेकर घर आये तो इसने देखा कि इसके पति के सिर पर व शरीर पर कई जगह चोटें थी व खून बह रहा था तथा इसके लड़के ने इसे बताया कि अभियुक्तगण ने पूरसिंह के साथ मारपीट की है तथा दौराने ईलाज स्वयं के पति पूरसिंह की मृत्यु हो जाना बताती है। इस प्रकार यद्यपि उक्त गवाह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना के समय की परिस्थितियों व उसके पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में सुसंगत व सम्पुष्टिकारक साक्ष्य दी है और उक्त गवाह के बयान भी अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहान पी.ड.-1 गोपाल सिंह, पी.ड.-2

लालसिंह, पी.ड.-3 पूजाबाई व पी.ड.-14 गीताबाई एवं पी.ड.-15 भैरूसिंह के बयानों की सम्पुष्टि करती है।

37- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय पूरसिंह सज्जनसिंह की चक्की पर आटा की पोटली लेने गया था। उक्त सज्जनसिंह गवाह पी.ड.-10 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है, तथापि अभियोजन कहानी के अनुसार हुए घटनाक्रम की ताईद करते हुए, अपने बयानों में कहता है कि यह घर पर चक्की चला रहा था और इसके घर से आटे की पोटली लेकर उसके घर गया। बाद में गांव में हल्ला सुनकर यह इसके घर से थोड़ी दूर कुएं पर गया तो वहां इसने पूरसिंह को उसकी माताजी, गोपाल सिंह, पूजाबाई द्वारा ले जाते हुए देखा। इस प्रकार से यह गवाह भी सम्पूर्ण घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, लेकिन घटना के पूर्व की व पश्चातवर्ती परिस्थितियों के बारे में अभियोजन कहानी की ताईद करता है तथा मृतक पूरसिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 तैयार करने वाले मेड़िकल बोर्ड के सदस्य के रूप में पी.ड.-4 डॉ. देशराज चावला, पी.ड.-21 डॉ. बृजेश टटवाल व पी.ड.-24 डॉ. सुरेन्द्र कुमार मीणा परीक्षित हुए है, जिन तीनों ने अपने बयानों में इस बात की ताईद की है कि मृतक के शरीर पर मौजूद चोटें मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित चोटों के अवलोकन से भी अन्य अभियोजन साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है तथा गवाह पी.ड.-25 कन्हैयालाल तत्कालीन ए.एस.आई. पुलिस थाना पिड़ावा ने इस बात की ताईद की है कि परिवादी गोपाल सिंह ने अस्पताल में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 पेश की थी, जिस पर इसने लाश की फोटोग्राफी प्रदर्श पी.-2, लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी.-3, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी.-4 तैयार की व उक्त सभी कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उक्त दस्तावेज थाने पर भेजे तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-23 रामकिशन व पी.ड.-22 वृद्धिचन्द गुर्जर के बयानों में व प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे इस बाबत् सन्देह उत्पन्न होता हो कि पूरसिंह की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट से कारित नहीं हुई हो।

38- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस जो भी विरोधाभास इंगित किये है, वे तात्विक नहीं होकर स्वाभाविक प्रकृति के हैं जो कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा घटनाक्रम के बारे में बताने के दौरान आना स्वाभाविक है, इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त सुसंगत है -

1- **दिल्ली उच्च न्यायालय- स्टेट बनाम निखिल कुमार, क्रिमिनल अपील सं.-784/2023, निर्णित दिनांक 15 दिसम्बर, 2025** -

"Discrepancies may arise due to error of observations loss of memory due to lapse of time, mental disposition such as shock at the time of occurrence and as such the normal discrepancy does not affect the credibility of a witness."

2- सर्वोच्च न्यायालय- थोटी मनोहर बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश, क्रिमि. अपील सं.-1739/2007, निर्णित दिनांक 15.05.2012 -

"Observed that minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the matter can not bring discredit to the story of the prosecution."

39- इस प्रकार हस्तगत प्रकरण गवाह पी.ड.-2 लालसिंह के बयानों के अनुसार 2 मुलजिमान तुफान सिंह व गोविन्द सिंह को उसने बात करते हुए सुना व जब यह अपने परिवार वालों को बुलाकर लाया तो मुलजिमान सहित 5 व्यक्ति मारपीट कर रहे थे। गवाह पी.ड.-14 गीताबाई के बयानों के अनुसार लालसिंह को चक्की पर भेजा तो रास्ते में मुलजिमान सहित 5 व्यक्ति बात कर रहे थे कि पूरसिंह को मारेंगे। चूंकि गीताबाई ने स्वयं मुलजिमान को बात करते नहीं सुना, बल्कि लालसिंह के बताये अनुसार ही अपने बयानों में यह बता रही है। अर्थात् घटना के उपरोक्त अंश के बारे में उक्त गवाह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा जब लालसिंह द्वारा चिल्लाकर बुलाने पर मौके पर गीताबाई गई तो इसने चारों मुलजिमान को पूरसिंह के साथ मारपीट करते देखा। अतः सम्पूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए उपरोक्त विरोधाभास स्वाभाविक व तुच्छ प्रकृति का है व अभियोजन साक्ष्य को लेश मात्र भी सन्देहास्पद नहीं बनाता है।

40- जहां तक तहरीरी रिपोर्ट में लालसिंह के चिल्लाकर घर की तरफ आकर बताने की बात का अंकन न होने का संबंध है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 के जरिये परिवादी गोपाल सिंह ने अपने भाई पूरसिंह की हत्या के बारे में आपराधिक प्रक्रिया को गति देने के लिये आवश्यक सूचना दी है तो इस न्यायालय के विनम्र मत में उक्त तहरीरी रिपोर्ट के प्रत्येक तथ्य का अंकन न होना मात्र तहरीरी रिपोर्ट को संदिग्ध नहीं बनाता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि एफ.आई.आर. से पूरे प्रकरण का विश्व कोष बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह माना है कि एफ.आई.आर. में केवल मूलभूत तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है, जिससे कि आपराधिक विधि की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके, विस्तृत विवेचन, सूक्ष्म तथ्यों व सम्पूर्ण साक्षों का उल्लेख

एफ.आई.आर. में अनिवार्य नहीं है **"स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम नरेश (2011) 4 एस.सी.सी. 324, रमेश बाबूरॉय देवस्कर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2007) 13 एस.सी.सी. 500."** इस प्रकार एफ.आई.आर. में किसी प्रकार की कमी या विवेचना का अभाव अभियोजन के लिये प्रत्येक प्रकरण में घातक नहीं माना जाता, क्योंकि विस्तुत तथ्य अन्वेषण व विचारण के दौरान सामने आते है।

41- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्त **स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम अहमद शेख बाबाजान व अन्य (2009) 14** SCC **267** का संबंध है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से संबंधित प्रकरण में एफ.आई.आर. में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप हुआ था तथा **अनिल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, (2013) 12** SCC **441** में घटना का वृतांत एफ.आई.आर. में व न्यायालय के बयानों में पूरी तरह से भिन्न था तथा **कल्याण व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी., (2001) 9** SCC **632** में घटना व परिस्थिति के क्रम साक्ष्य में व एफ.आई.आर. में भिन्न-भिन्न थे। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर इस न्यायालय के विनम्र मत में चस्पा नहीं होते है।

42- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क है कि गवाह पी.ड.-1 गोपाल सिंह, पी.ड.-2 लालसिंह व पी.ड.-3 पूजा एक से रटे हुए, सिखाये हुए बयान देते हैं तथा उनके बयान स्वाभाविक नहीं है, बल्कि सिखाये हुए बयान तीनों गवाहान ने दिये है तथा अपने तर्कों को निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पर आधारित किया है। **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मोहरीराम व अन्य, 1994 सप्ली. (1) एस.सी.सी. 632** एवं **रामबिलास व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी., 1997 एस.सी.सी. (क्रि) 1222** तथा **कोमल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमि. अपील नं.-559, 560, 561/2018 निर्णित दिनांक 02.02.2022.**

43- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के उपरोक्त तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त व पत्रावली का पुनः सूक्ष्म अवलोकन किया जाये तो प्रथमतः तो तीनों ही गवाहान के बयान एक से रटे हुए प्रतीत नहीं होते है, बल्कि तीनों में अपने ही प्रकार से अलग-अलग शब्दों व वाक्यों में घटना का वर्णन किया है। लेकिन उनके द्वारा दिये गये बयानों से अभियोजन कहानी की ताईद अवश्य होती है व दौराने प्रतिपरीक्षा भी उपरोक्त गवाहान खरे उतरे हैं। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में बाद परीक्षण उपरोक्त तीनों ही गवाहान स्वाभाविक गवाहान के रूप में ही साबित हुए हैं।

अतः "Parrot like Manner" के बयान होने का तर्क हस्तगत प्रकरण में स्वाकार्य नहीं है।

44- जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी अभियुक्तगण से बरामद होना सन्देह से परे साबित नहीं है,

ना ही बरामदशुदा हथियार न्यायालय में पेश हुए है तो इस न्यायालय के विनम्र मत में यह सही है कि हथियारों की बरामदगी अभियुक्तगण के आधिपत्य से सन्देह से परे साबित नहीं हुई है व बरामदगी के गवाह पी.ड.-13 कमल सिंह व पी.ड.-6 ईश्वर सिंह दोनों ही पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-23 रामकिशन द्वारा अभियुक्तगण से हथियार बरामद किये जाने की ताईद नहीं करता है। साथ ही तथाकथित बरामद किये गये हथियार न्यायालय के समक्ष भी पेश नहीं हुए है। लेकिन केवल हथियार की बरामदगी का अभाव अभियोजन के लिये घातक नहीं माना जा सकता। यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का बयान स्वाभाविक, विश्वसनीय हो व घटना का समर्थन कर रहे हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अर्जुनसिंह, (2011) 9 एस.सी.सी. 115** में यह माना है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय हो तो हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार **गुरमत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, (2013) 12 एस.सी.सी. 418** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बरामदगी न होने से अभियोजन का मामला स्वतः कमजोर नहीं होता। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में पूर्व में की गयी विवेचना अनुसार हस्तगत प्रकरण में भी पर्याप्त प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मौजूद है, जिसकी समपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी होती है। अतः अभियुक्तगण मात्र हथियारों की बरामदगी सन्देह से परे साबित न होने के कारण सन्देह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

45- जहाँ तक हत्या के 'आशय' का बिन्दु है - यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त का हत्या के आशय की प्रत्यक्ष साक्ष्य हर प्रकरण में उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि अभियुक्त के सम्पूर्ण आचरण से ही अभियुक्त का आशय निर्धारित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विरसा सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465** में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त का आशय उसके द्वारा प्रयुक्त हथियार, शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर किया गया प्रहार, चोटों की संख्या एवं प्रकृति के साथ-साथ घटना से पूर्व अभियुक्त द्वारा कहे गये शब्दों से भी परिलक्षित होता है। अतः अभियुक्त के सम्पूर्ण आचरण का परीक्षण कर ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि अभियुक्त का कृत्य धारा 300 भा.दं.सं. के अन्तर्गत हत्या की श्रेणी में आता है या नहीं।

46- प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड.-2 लालसिंह के अनुसार उसने घटना से तुरन्त पूर्व अभियुक्तगण तूफान सिंह व गोविन्द सिंह को यह बात करते सुना कि "पूरसिंह को आज मारेंगे, तैयार हो जा, आने ही वाला है।" उसके उपरान्त जब दौड़कर चिल्लाकर अपने परिवार वालों को बुलाकर लाया, तब सभी अभियुक्तगण लट्ठ,

गण्डासी, तलवार से पूरसिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। उक्त घटनाक्रम से व पत्रावली पर आई अन्य साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्तगण ने पूर्व नियोजित तरीके से पूरसिंह की हत्या करने के आशय से ही पूरसिंह के साथ मारपीट की। साथ ही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 व चिकित्सकीय साक्ष्य से यह साबित है कि मृतक के सिर व चेहरे पर सात जाहिरा चोटें (चोट सं.-1 लगायत 7) मौजूद थी। अर्थात् पूरसिंह के सिर पर ही अधिकांश वार करने के प्रयास किये गये है तथा एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति यह जानता है कि किसी व्यक्ति के सिर पर लट्ठ इत्यादि हथियारों से वार करने पर उसकी मृत्यु कारित करना संभाव्य है। अतः अभियुक्त्गण के कथनों से उनकी पूरसिंह की हत्या करने की योजना व अभियुक्तगण के कृत्य से 'हत्या का आशय' संदेह से परे साबित है।

47- अतः साक्ष्य की विवेचनानुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने एकराय होकर पूरसिंह की हत्या करने के आशय से उसे जाते हुए को सदोष अवरोधित किया व उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की। अतः अभियुक्तगण धारा 341 सपठित धारा 34 व धारा 323 सपठित धारा 34 एवं धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत् दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

45- जहां तक अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तुफान सिंह पर आरोपित अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का संबंध है। अभियोजन कहानी के ताईद करते हुए अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-23 रामकिशन ने अभियुक्त गोविन्द सिंह द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसरण में गोविन्द सिंह द्वारा स्वयं के आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त हथियार गण्डासी जरिये फर्द प्रदर्श पी.-12 बरामद किया जाना व अभियुक्त तुफान सिंह द्वारा दी गयी इत्तला के अनुसरण में उसके आधिपत्य से घटना में प्रयुक्त हथियार तलवार जरिये प्रदर्श पी.-14 बरामद किया जाना अपने बयानों में बताया है। उक्त फर्दात् प्रदर्श पी.-12 व प्रदर्श पी.-14 के अवलोकन से जाहिर है कि बरामदगी की उपरोक्त कार्यवाही क्रमशः कमल सिंह व ईश्वर सिंह नामक दो गवाहान के समक्ष की गयी है। उपरोक्त गवाह पी.ड.-6 व पी.ड.-13 के रूप में परीक्षित हुए हैं। गवाह पी.ड.-6 ईश्वर सिंह व पी.ड.-13 कमल सिंह दोनों ही पक्षद्रोही घोषित हुए हैं व फर्द प्रदर्श पी.-12 व फर्द प्रदर्श पी.-14 में अंकित कार्यवाहियों की लेश मात्र भी ताईद नहीं करते हैं। अतः जहां तक धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप का संबंध है। अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त गोविन्द सिंह के आधिपत्य से दिनांक 19.06.2019 को 5.00 पी.एम. समय पर इसके रिहायशी मकान से उसके

आधिपत्य से धारदार हथियार गण्डासी व अभियुक्त तुफान सिंह के आधिपत्य से दिनांक 19.06.2019 को समय 6.20 पी.एम. पर एक धारदार हथियार तलवार बरामद की गयी, जिन्हें रखने बाबत् उनके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। अतः अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तुफान सिंह धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण 1- नरवर सिंह पुत्र हरिसिंह, उम्र 62 वर्ष, 2- दिलीप सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, उम्र 19 वर्ष, 3- गोविन्द सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 29 वर्ष व 4- तुफान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासीगण खारपा खुर्द, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) को धारा 341 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(2) परन्तु अभियुक्तगण गोविन्द सिंह व तुफान सिंह को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाईः-

विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब काश्तकार तथा घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति है, जिनका यह प्रथम अपराध है। उनकी कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण काफी समय से इस प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाने का निवेदन किया।

2- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के भाई पूरसिंह के साथ मारपीट कर साशय हत्या कारित किये जाने के गम्भीर आरोप है, जिनके प्रति नरमी का

रूख अपनाये जाने से, समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

3- उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य नहीं है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के भाई पूरसिंह के साथ गम्भीर रूप से मारपीट कर साशय उसकी हत्या कारित किये जाने के गम्भीर आरोप है। अतः अभियुक्तगण की स्थिति, अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति नरम रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्तगण के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता हैः-

दण्डादेश

अतः अभियुक्तगण 1- नरवर सिंह पुत्र हरिसिंह, उम्र 62 वर्ष, 2- दिलीप सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, उम्र 19 वर्ष, 3- गोविन्द सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 29 वर्ष व 4- तुफान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासीगण खारपा खुर्द, पुलिस थाना पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) को धारा 341 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. व धारा 323 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाये जाने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाता है -

2- उक्त समस्त अभियुक्तगण में से प्रत्येक अभियुक्त को धारा **302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में आजीवन कारावास व 1,00,000/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

3- उक्त समस्त अभियुक्तगण में से प्रत्येक अभियुक्त को धारा **341 सपठित धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में एक माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

4- उक्त समस्त अभियुक्तगण में से प्रत्येक अभियुक्त को धारा **323 सपठितृ धारा 34 भा.दं.सं.** के अपराध में एक वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

5- अभियुक्तगण की उक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि, धारा 428 दं.प्र.सं. के अनुसार उनकी मूल सजा में समायोजित की जावेगी। अभियुक्तगण के सजा वारण्ट नियमानुसार तैयार किए जावें।

6- प्रकरण में जरिये फर्द जब्ती क्रमशः प्रदर्श पी.-6 व 7 से जब्तशुदा वजह सबूत खून आलूदा मिट्टी व खून आलूदा कपड़े एक शर्ट पेन्ट तथा जरिये फर्द जब्ती क्रमशः प्रदर्श पी.-11, 12, 13 व 14 से जब्तशुदा हथियार क्रमशः बांस की लकड़ी, गण्डासी, पत्थर व तलवार लोहा बाद गुजरने मियाद अपील व अपील न होने की सुरत में नियमानुसार नष्ट किये जावें।

7- सम्पूर्ण जुर्माना राशि 4,00,000/-रूपये जमा होने पर मृतक की पत्नी कालीबाई को बाद गुजरने मियाद अपील बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा की जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क दी जावे।

8- प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए मृतक के परिवारजन को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित पाया जाता है। अनुशंषा पत्र जारी हो।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

9- निर्णय आज दिनांक **08.12.2025** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय में किये गये सभी संशोधनो को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)
स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।